न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, RAS

पत्रावली संख्या : **130/23 (विविध)**

GCMS No. : 2023/359

प्रकरण दर्ज दिनांक : 18.08.2023 **निर्णय दिनांक : 16.05.2024**

अनवान्

1. श्री लोगर पिता कालु भील निवासी वासनीमाफी तह. मावली।
2. श्री सुन्दरलाल पिता कालु भील निवासी वासनीमाफी तह. मावली।

..............प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
2. पटवारी, पटवार हल्का फतहनगर तह. मावली।
3. नारायणी पुत्री कालु भील निवासी वासनीमाफी तह. मावली।
4. श्री राजु माता स्व. गोपीबाई (पिता भगवान) कालु भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
5. मन्जु माता स्व. गोपीबाई (पिता भगवान) कालु भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
6. चन्दा माता स्व. गोपीबाई (पिता भगवान) कालु भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।
7. श्री बाबुलाल माता स्व. गोपीबाई (पिता भगवान) कालु भील निवासी वीरधोलिया तह. मावली।

.......................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन , अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. राजपेरोकार मावली, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1,2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 16.05.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वासनीमाफी पटवार हल्का फतहनगर की आराजी नम्बर 1059/516, 357 से 367, 446, 447, 448, 514, 765 किता 17 रकबा 4.1036 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 के नाम 1/4 हिस्सा, विपक्षी सं. 3 के नाम संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा, खातेदार गोपीबाई पुत्री कालु के नाम 1/4 हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज हैं। गोपीबाई की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस विपक्षी संख्या 4 से 7 तक हैं।
2. यह कि हम प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि भूमि हम प्रार्थीगण को हमारे मौरूसान से प्राप्त हुई है और हमारे [illegible] एवं उनके वारिसान उक्त वर्णित कृषि भूमियों पर निर्बाध रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.07 10:25:16 IST
Reason: SelfAttested

रहे है तथा उक्त वर्णित कृषि भूमियां हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 से 7 को प्राप्त होने के पश्चात् हम सभी इन कृषि भूमियों पर शांतिपूर्वक काबिज होकर इनका अपने परिवार के सदस्यों सहित नियमित एवं निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमियों से अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं रहा हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजी हम प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की होकर हमारे कब्जे उपयोग उपभोग में निरन्तर निर्बाध रूप से चली आ रही है तथा हमने हमारी उक्त कृषि भूमि को विकसित कर उपजाऊ बनाकर आवादान की है तथा हम प्रार्थीगण अपनी खातेदारी अधिकार की कृषि भूमियों पर सपरिवार शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल अधिकार नहीं हैं।

4. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 तथा विपक्षी संख्या 4 से 7 की माता गोपीबाई सहखातेदार काश्तकार है और एक ही परिवार के सदस्य है तथा इस भूमि पर हमने लाखों रूपयों का खर्चा कर भूमि का विकसित कर आवादान की है और वर्षों से इस कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे है किन्तु अभी कुछ समय पूर्व जब हम प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि भूमि की जमाबन्दी की प्रति एवं राजस्व नक्शा ट्रेस प्राप्त करके देखता तो कलम संख्या 1 में अंकित आराजीयात के मध्य में अर्थात् आराजी नम्बर 446, 447, 514, 1059/516 के उत्तरी भाग पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाता हुआ रास्तानुमा सीमांकन होना पाया जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सांकेतिक नक्शें में चमकीले रंग से दर्शाया गया है जबकि न तो हमारी जमीन के मौके पर कभी रास्ता रहा है, न ही वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता है। इसके अलावा राजस्व जमाबन्दी में भी ट्रेस में ऐसे पैमुद रास्ते के बारे में कोई वर्णन नहीं हैं, न ही किस्म रास्ता अंकित हैं। हम एवं हमारे मौरूस पीढी दर पीढी हमारी कृषि भूमियों के शत प्रतिशत रकबे पर काबिज है और कुलिया रकबे पर आवश्यकतानुसार कृषि कार्य करते आ रहे है और इस पर हमने काफी लागत भी लगा रखी हैं।

5. यह कि हम प्रार्थीगण को उक्त तथ्य की जानकारी होने पर हमने हमारी उक्त कृषि भूमि के हमारे पास पूर्व के अर्थात् सम्वत् 1995 (सन् 1939) के उपलब्ध राजस्व ट्रेस की प्रमाणित प्रति से वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस का मिलान कर देखा तो हमारी कृषि भूमि के सम्वत् 1995 (सन् 1939) के राजस्व नक्शा ट्रेस में वर्तमान में पैमुद रास्ता का कोई अंकन नहीं पाया। इसके पश्चात् हमने पटवारी जी से सम्पर्क करके वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस गलत दर्ज हुवे रास्ते को हटाकर सम्वत् 1995 (सन् 1939) के नक्शा ट्रेस मुताबिक ही ट्रेस में तरमीम कर दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी जी ने बताया कि राजस्व नक्शा ट्रेस में उक्त [illegible]ीम अब एस.डी.ओ. साहब के आदेश से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.07 10:25:16 IST
Reason: SelfAttested

ही हटेगी। इसलिए जानकारी होते ही अविलम्बर यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

6. यह कि सम्वत् 1995 (सन् 1939) के राजस्व नक्शा ट्रेस में हम प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि के मध्य में किसी प्रकार का कोई रास्ता तरमीम नहीं है लेकिन इसके पश्चात् सम्वत् 2023 (सन् 1966) में बनने वाले राजस्व नक्शा ट्रेस में सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकार के एवं बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अन्यथा लाभ प्राप्त करते हुए हम प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हमारी कृषि भूमियों के मध्य में रास्ते को दर्शा कर नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दिया। जबकि हमारी भूमियों के मध्य रास्ता तरमीम करने के लिये हमारे पूर्वजो/पूर्व खातेदार कभी कोई आवेदन नहीं किया गया था, न ही पूर्व के रेकार्ड में इसका कोई वर्णन है तथा हमारी इन कृषि भूमियों की राजस्व जमाबन्दी में भी इस कथित रास्ते के बारे में कोई वर्णन नही है, न ही रास्ते के रूप में कोई भूमि हमारी खातेदारी से कम कर रेकार्ड में अलग से दर्ज की गई है, न ही हमारे नाम पर दर्ज की गई हैं। इससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से उक्त कार्य किया गया था। सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा राजस्व नक्शा ट्रेस में हमारी कृषि भूमि के मध्य में गलत एवं अवैध तरीके से रास्ता तरमीम कर दिये जाने से हम प्रार्थीगण को भारी असुविधा एवं कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है तथा हम प्रार्थीगण हमारी भूमि का समुचित ढंग से उपयोग उपभोग कर सक रहे है जिससे हम प्रार्थीगण को भारी मानसिक पीडा भी भोगनी पड रही है और आर्थिक क्षति भी पहुंच रही हैं। इसलिए हम प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि के राजस्व नक्शा ट्रेस में हमारी भूमियों के मध्य अवैध तरीके से पैमुद किये गये रास्ते को हटवाया जाना आवश्यक है इसलिए आप न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र हम प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

7. यह कि हम प्रार्थीगण को हमारी खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व नक्शा ट्रेस में हमारी भूमियों के बीच में गलत रास्ता तरमीम होने की जानकारी दिनांक 08.8.23 को राजस्व नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त करने पर हुई और जानकारी होते ही यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश किया जा रहा हैं।

8. अन्त में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित हम प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व नक्शा ट्रेस में हमारी कृषि भूमियों के मध्य में गलत पैमुद हुवे रास्ते को हटाया जाकर सम्वत् 1995 (सन् 1939) के राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस तरमीम कराये जाने का उचित आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.07 10:25:16 IST
Reason: SelfAttested

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 3 से 6 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर नोट शीट पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी सं. 1, 2 राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम वासनीमाफी की जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 217 में खसरा संख्या 1059/516, 357 से 367, 446 से 448, 514, 765 कुल किता 17 रकबा 4.1036 हेक्टेयर में सुन्दरलाल, लोगर, नारायणी, गोपीबाई पिता कालु भील हि.ब.सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। ग्राम वासनीमाफी की सेटलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट अनुसार खाता में दला वल्द जीता भील सा. देह के नाम खसरा नम्बर 233, 230, 235, 236, 237, 238, 283/1, 283/2, 284 कुल किता 10 रकबा 17.09 बीघा दर्ज रिकार्ड हैं। साबिक खसरा नम्बर 284, 283/1, 283/2 के हाल सेटलमेन्ट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 365, 366, 367, 514, 447, 448, 446 दर्ज हुए। संलग्न मिलान खसरा पत्रक अनुसार गत सेटलमेन्ट तथा नवीन सेटलमेन्ट का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार हैं :–

गत सेटलमेन्ट			वर्तमान सेटलमेन्ट	
आराजी नम्बर	रकबा (बीघा)		आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)
283/1	5–11		365	0.1133
283/2	0–10		366	0.1862
284	3–12		367	0.0971
274	1–11		514	0.4047
कुल किता–04	14–09		447	1.2464
			448	0.0243
			446	0.0324
			कुल किता–07	2.1044

10. यह कि उक्त गत खसरा का रकबा 14–09 बीघा का हेक्टेयर में रकबा 3.1226 हेक्टेयर बनता है परन्तु वर्तमान में गत मिलान खसरा पत्रक अनुसार नवीन खसरा का रकबा 2.1044 हेक्टेयर ही दर्ज हुआ है जो कि गत रकबा में 1.0182 हेक्टेयर की कमी आती हैं। सेटलमेन्ट नक्शा व वर्तमान नक्शा में भिन्नता है। गत सेटलमेन्ट में खसरा संख्या 284, 283/1 के मध्य कोई रास्ता नहीं था परन्तु वर्तमान नक्शा में रास्ता दर्ज हैं।

11. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.07 10:25:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा प्रकरण को मेरिट पर निस्तारित किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.10.2023 का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर मौजा वासनीमाफी पटवार हल्का फतहनगर की आराजी नम्बर 1059/516, 357 से 367, 446, 447, 448, 514, 765 के मध्य में राजस्व नक्शें में अंकित रास्ते को हटाये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा भी रिपोर्ट पेश कर सेटलमेन्ट नक्शा एवं वर्तमान नक्शा में भिन्नता होने का कथन कर गत सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 284, 283/1 के मध्य कोई रास्ता नहीं होना बताया। पत्रावली पर उपलब्ध सेटलमेन्ट से पूर्व का नक्शा एवं वर्तमान नक्शें का मिलान करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि में सेटलमेन्ट से पूर्व कोई रास्ता नहीं था तथा तहसीलदार द्वारा भी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि मौके पर वादग्रस्त भूमि में से किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं हैं, परन्तु फिर भी भू. प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि में रास्ता अंकित कर दिया हैं जो कि न्यायोचित नहीं हैं। अतः आराजी नम्बर 284, 283/1 के मध्य राजस्व नक्शें में अंकित रास्ते की गलत तरमीम कर दी गई है जिसे सुधाराजाना आवश्यक हैं। विपक्षी सं. 3 से 6 द्वारा भी उक्त तरमीम सही किये जाने पर सहमति व्यक्त की। भू.प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा की गई उक्त त्रुटि को राजपेरोकार तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया हैं। इस सम्बन्ध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6(12) राज 16/92/26 दिनांक 20.12.1995, जो मूलतः धारा 136, राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 से जुडा है व समस्त संभागीय आयुक्तगण एवं जिला कलक्टर्स को संबोधित है, के बिन्दु संख्या 2 एवं बिन्दु संख्या 4 को यहां उल्लेखित किया जाना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है :– ''बिन्दु संख्या–2 भू. प्रबन्ध के दौरान जो लिपिकीय एवं अन्य गलतियां भू. प्रबन्ध कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की गई है, उनका निर्धारित रीति द्वारा भू. अभिलेख शुद्धिकरण कर सकेगा या करा सकेगा बशर्ते कि हितबद्ध पक्षकार ऐसी गलतियों का भू. अभिलेख या रजिस्टर में किया जाना स्वीकार करें।'' ''बिन्दु संख्या–4 सभी जिला कलेक्टर भू. अभिलेख अधिकारी है तथा राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या प. 12 (183) रेव/बी/56 दिनांक 17.09.56 द्वारा ये शक्तियां उपखण्ड अधिकारी को दी हुई है। यह अधिसूचना आज भी प्रभावी है। अतः वर्तमान में सभी उपखण्ड अधिकारियों के पास भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियां हैं। उपखण्ड अधिकारी के नीचे का कोई अधिकारी उपरोक्त प्रकार की गलतियों के शुद्धिकरण के लिए सक्षम नहीं हैं।'' उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.07 10:25:16 IST
Reason: SelfAttested

परिपत्र से स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट के दौरान हुई त्रुटि को ठीक किये जाने बाबत् भू. राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत् उपखण्ड अधिकारी अधिकृत हैं। अतः प्रार्थीगण उक्त तरमीम की शुद्धि कराने के अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वासनीमाफी पटवार हल्का फतहनगर की आ.न. 365, 366, 367, 514, 447, 448, 446 के मध्य में दर्शायें गये रास्ते को हटाया जाकर सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जावें तथा साथ ही उक्त आराजीयात के मध्य रास्ते की भूमि को प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.07 10:25:16 IST
Reason: SelfAttested